Form No. III
फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

जमनालाल बनाम **डालु**

किस्मा मुकदमा **राजस्व इजराय** नं0 **077** सन् **2016**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील डिक्रीदार द्वारा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 117/2016 अनवानी जमनालाल बनाम डालु वगैराह निर्णय दिनांक 05.06.2015 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2019/992 दिनांक 17.07.2019 से पालना रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। मुताबिक पालना रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.06.2015 पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.06.2015 पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान किये गये है ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों में न्यायालय निर्णय दिनांक 05.06.2015 की पालना कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्णय उपरांत ही पालना कराई जानी उचित प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत इजराय में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत इजराय प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्रीदार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौड़गढ़ के निर्णय उपरांत निर्णयानुसार इजराय के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। – ह0 – (तेजस्वी राणा)(I.A.S.) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ 23.10.2019	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official